संख्या-177/2025/1323/26-3-2025-1396097

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-C-2966/स0क0/शिक्षा-अ/8/3/2025-26 दिनांक 14.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-120/2025/1371/26-3-2025-1396097 दिनांक 18-06-2025 व शासनादेश संख्या-129/2025/1905/26-3-2025-1396097 दिनांक 28-07-2025 द्वारा वित्तीय वर्ष/ शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों/संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
	मास्टर डाटा	
1	**विद्यालय द्वारा प्रोफाइल लॉक करना** प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर / अपलोड करके प्रमाणित करना।	25 नवम्बर, 2025 से 01 दिसम्बर, 2025 तक
2	**जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	25 नवम्बर, 2025 से 08 दिसम्बर, 2025 तक

3	**अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मार्किंग किया जाना** मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	02 जुलाई, 2025 से 14 दिसम्बर, 2025 तक
पूर्वदशम एवं दशमोत्तर (कक्षा 9-12) दोनों के छात्र / छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया		
4	**छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन / आनलाइन आवेदन करना**	25 नवम्बर, 2025 से 06 दिसम्बर, 2025 तक
5	**छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना**	25 नवम्बर, 2025 से 07 दिसम्बर, 2025 तक
6	**हार्ड कापी छात्र / छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	25 नवम्बर, 2025 से 09 दिसम्बर, 2025 तक
7	**विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 नवम्बर, 2025 से 13 दिसम्बर, 2025 तक
8	**जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	15 दिसम्बर, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक
9	**एन०आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	15 दिसम्बर, 2025 से 23 दिसम्बर, 2025 तक
10	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों/संस्था के स्तर से सही करना** सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर एन०आई०सी० द्वारा प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	23 दिसम्बर, 2025 से 28 दिसम्बर, 2025 तक
11	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को विद्यालय में जमा करना** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नको सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	त्रुटियां संशोधन के पश्चात विलम्बतम 29 दिसम्बर 2025 तक
12	**संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** त्रुटियो को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रो का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक
13	**एन0आई०सी० द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	01 जनवरी, 2026 से 09 जनवरी, 2026 तक
14	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना	23 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक

	तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
15	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	05 फरवरी, 2026 तक
16	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र / छात्राओं को धनराशि का भुगतान की कार्यवाही।	09 फरवरी, 2026 तक

1-कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 09 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा ।

2-कक्षा 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था स्तर से केवल कक्षा 12 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 11 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आवेदन आनलाइन अग्रसारण किया जायेगा।

3-अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि भुगतान के उपरांत 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु भारत सरकार का डाटा शेयर किया जायेगा ।

4-वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व में निर्गत समय-सारिणी के अन्तर्गत किसी स्तर पर वंचित छात्र / विद्यालय को उक्त समय-सारिणी में सम्मिलित किया जायेगा ।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 24-11-2025
10:00:0
(एल० वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

पृ०सं० एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
RAJANI KANT PANDEY
Date: 24-11-2025
15:35:04
(रजनी कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।